फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

विद्यादेवी **बनाम** महिला एवं बाल विकास अधिकारी नदबई

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 88 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28.10.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट विद्या पत्नि लाखन जाटव निवासी लुहास तहसील नदबई जिला भरतपुर की अपील लोकसूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी नदबई के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी यह अपील लोकसूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी नदबई के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत लोकसूचना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी नदबई के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास भरतपुर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)	